N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0246 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/09/2025 17:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 17/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:32 बजे **Time To (समय तक):** 18:27 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/09/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/09/2025 17:10:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARYALYA NAGARPALIKA RAJGARH, JILA CHURU

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AJAY KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NATTHURAM AGARWAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/04/1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO.23 RAJGARH, RAJGARH, HAMIRWAS, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO.23 RAJGARH, RAJGARH, HAMIRWAS, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAKESH KUMAR		पिता:BALVEER	1. GRAM LEELAVATHI,RAJGARH,HAMIRWAS,CHURU,RAJASTHAN,INDI
2	PAWAN MUDGAL		पिता:PREM PRAKESH MUDGAL	1. RAMBAG WARD NO 26,RAJGARH,CHURU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,90,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,90,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 16.09.2025 को समय 11.32 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को एसीबी हैल्प लाईन न 1064 ने परिवादी श्री अजय कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] उपलब्ध करवा सम्पर्क करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] परिवादी श्री अजय कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] समय 11.33 ए.एम. पर सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मै राजगढ चुरु से बोल रहा हूँ। मैने नगर पालिका राजगढ में मेरी दुकान के व्यवसायिक कन्वर्जन हेतु आवेदन कर रखा है। नगर पालिका राजगढ में भूमि शाखा प्रभारी मेरी दुकान का व्यवसायिक कन्वर्जन करने की एवज में तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मै झुंझुनूं आने में असमर्थ हूँ। मै आपको राजगढ में राजगढ बाईपास पर मिल जाउंगा। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकाल कर चैक किया तो मैमोरी कार्ड व डिजिटल वॉयस रिकार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नही पाई गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री विक्रम सिंह कानि न. 92, सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह, डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर के राजगढ रवाना हुआ। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री विक्रम सिंह कानि न 92, सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह के राजगढ बाईपास पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति कार सहित उपस्थित मिला जिससे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री अजय कुमार अग्रवाल होना बताया। परिवादी श्री अजय कुमार पुत्र श्री नत्थूराम अग्रवाल निवासी वार्ड न 23, राजगढ जिला चुरु ने एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयं का आधार कार्ड, नगर पालिका राजगढ में भूखण्ड कन्वर्जन हेतु जमा 500 रुपये की रसीद एवं अखबार में निकाली गई आपत्ति सूचना की स्वप्रमाणित फोटोप्रति मन् उप अधीक्षक पुलिस को इस आश्य का पेश किया कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस एसीबी झुंझुनूं, विषय नगर पालिका राजगढ के भूमि शाखा प्रभारी राकेश धायल को रिश्वत लेते पकड़वाने के क्रम में। महोदय निवेदन है कि मै अजय कुमार पुत्र श्री नत्थुराम निवासी W.N. 23 राजगढ (चुरु) का रहने वाला हूँ मैने फाईल मेरी कन्वर्जन हेतु 12.08.25 को जमा करवाई थी, तथा जिसकी रसीद भी मुझे प्राप्त हो चुकी है लेकिन अभी तक मुझे कार्मिशियल कन्वर्जन नही किया गया है मैने मेरी फाईल के बारे में भूमि शाखा प्रभारी राकेश जी से मिला तो राकेश जी ने कहा ऐसे आपका कोई कार्मिशियल कन्वर्जन नही करेगा अगर कन्वर्जन करवाना चाहते हो तो आपको करीब 3 लाख रुपये कन्वर्जन फीस के अलावा देना पड़ेगा। मैने राकेश जी को कहा कि मेरी दुकान जगह पर तो इसी प्रकार कोई कमी नही है तो फिर इतने रुपये केसे देने पडेगे। तब राकेश जी ने कहा आप समझा करो कन्वर्जन होते ही आपकी जगह की किमत भी कई गुना बढ जायेगी। आपको 3LAC तो कम से कम उपर के देने ही पड़ेगे। अब दिनांक 12.09.2025 को मेरे पास राकेश जी का फोन आया और उन्होने कहा कि आपकी फाईल निकलावानी है तो मैने पहले 3LAC बताये थे अब उसमें थोड़ बहुत कम काम करके इस काम करवा लो बाद में अधिकारी कोई चले जायेगे तो आपके परेशानी जा आयेगी और आपका काम अटक जायेगा। मेरी दुकान की कार्मिशियल कन्वर्जन करवाने के लिए भूमि शाखा प्रभारी राकेश जी धायल मेरे से करीब 2.50 से 3 लाख रुपये रिश्वत लेना चा रहे है मै उनको रिश्वत देकर अपना काम नही करवाना चाहता हूँ क्योकि मेरा काम जायज है और मै राकेश जी को रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूँ। राकेश जी ने मुझे आज फिर ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया है वो मेरे से रिश्वत लेकर ही कन्वर्जन करना चाहते है। अतः कानुनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश है। मेरी राकेश जी कोई रंजिश नही मेरा और उनका कोई लेनदेन बकाया नही है। तारीख 16.09.2025 भवदीय एस.डी. अजय कुमार अग्रवाल S/o श्री नत्थुराम अग्रवाल W.N.23 राजगढ (चुरु) मोबाईल नम्बर [redacted]रिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया हैं। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मै श्री राकेश धायल से आज मिल कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हूँ। मेरा श्री राकेश धायल से पहले का उधार का लेनदेन नही है, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री विक्रम सिंह कानि का परिचय परिवादी से करवाया तथा परिवादी को कार्यालय की डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश की गई। श्री विक्रम सिंह कानि को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल के साथ उसकी गाडी से गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करने की हिदायत मुनासिब कर नगर पालिका राजगढ के लिए रवाना किया गया। समय 01.30 पीएम पर राजगढ से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री जगदेव सिंह कानि. चालक

सरकारी वाहन, लेपटॉप, प्रिन्टर के रवाना होकर एसीबी कार्यालय झुंझुनूं पहुंचा। समय 06.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री विक्रम सिंह कानि ने जरिये मोबाईल फोन अवगत कराया कि मै व परिवादी, परिवादी की गाडी से श्री पवन मुदग्ल की दुकान के पास पहुंचा परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर वार्ता करने हेतु श्री पवन मुदग्ल की दुकान में रवाना किया। मै अपनी उपस्थिति छिपाते हुये वही आसपास मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया जिनसे मैने डिजिटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने मुझे बताया कि श्री पवन मुदग्ल ने कहा की श्री राकेश धायल को एक लाख रुपये दे दो, एक लाख रुपये ज्यादा नही है वो आपका इंतजार कर रहा, उनके पास चले जाओ। मै व परिवादी नगर पालिका राजगढ के पास पहुंच परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर सुपुर्द किया तथा रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु श्री राकेश धायल के पास नगर पालिका के लिए रवाना किया। मै नगर पालिका के बाहर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के आने के इंतजार में मुकिम हुआ। कुछ समय बाद परिवादी वापस आया जिससे मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि श्री राकेश धायल ने मेरे भूखण्ड का कन्वर्जन करने की एवज में कन्वर्जन फीस 96810 रुपये व इसके अलावा एक लाख रुपये रिश्वत के अलग से कुल 1,96,000 रुपये की मांग की गई, तब मैने 1,90,000 रुपये देने के लिए कहा तो उन्होने हां कर रुपये जल्दी लाने के लिए कहा तब मैने रुपये कल देने के लिए कहा तो वो मेरी बात से सहमत हो गये। मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना तो परिवादी द्वारा बताई गई बातो की ताईद होना पाई गई। श्री विक्रम सिंह कानि ने परिवादी से भी बात करवाई तो परिवादी ने कानि द्वारा बताई गई बातो की पुष्टी की जिस पर श्री विक्रम सिंह कानि व परिवादी को कार्यालय में आने की हिदायत की गई। श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि न 155 गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं गया हुआ वापस आया तथा एक स्वतंत्र गवाह को सुबह 06.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने के लिए पाबन्द किया। श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी झुंझुनूं को गोपनीय कार्यवाही हेतु एक स्वतंत्र गवाह सुबह 6.00 पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 10.20 पीएम पर श्री विक्रम सिंह कानि मय परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल के कार्यालय में उपस्थित आया तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पेश किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कोर्ड को चलाकर सुना तो श्री विक्रम सिंह कानि व परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल फोन बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड को सुरक्षित अलमारी में रखा गया। परिवादी ने बताया कि कल शहरी सेवा शिविर का आयोजन होने से श्री राकेश धायल शिविर में रहेगे इसलिए उनको सुबह जल्दी रिश्वत देनी है। स्वतंत्र गवाह के आने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का रुपान्तरण तैयार किया जावेगा। श्री अजय कुमार अग्रवाल को कल सुबह 6.00 एएम पर श्री राकेश धायल प्रभारी भूमि शाखा, नगर पालिका राजगढ को दी जाने रिश्वत राशि सहित उपस्थित आने की हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 17.09.2025 को समय 06.00 एएम पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री मदन लाल पुत्र श्री गिरधारी लाल, जाति मेघवाल, उम्र 42 साल, निवासी ग्राम ढेवा का बास, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं हाल वार्डबाय, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावा जिला झुंझुनूं एवं श्री चन्द्र भान पुत्र श्री दुलीचन्द, जाति मेघवाल, उम्र 37 साल, निवासी डाबडी धीर सिंह, पुलिस थाना धनुरी, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं हाल सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनूं गोपनीय कार्यवाही हेतु हाजिर आए। पाबन्दशुदा परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल उपस्थित कार्यालय आया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मदन लाल वार्डबाय एवं श्री चन्द्रभान सहायक प्रोग्रामर का परिवादी से आपस में परिचय करवा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया व समझाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह सहमती चाही तो दोनो ने स्वेच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। दोनो स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से 1,90,000 रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 380 नोट कुल 1,90,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटो पर श्री दलीप कुमार कानि न 10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री चन्द्रभान से परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 1,90,000 रूपये के नोट श्री दलीप कुमार कानि. 10 से एक फेब्रिक कपडे के कैरी बैग में जिसके एक तरफ महादेव इण्डस्ट्रीज मोदी फूड प्रोडक्ट हिन्दी में व दूसरी तरफ पुनमचन्द, परमेश कुमार मोदी जी मिठाई वाले अंग्रेजी में लिखा हुआ है, में रखवाकर उक्त फेब्रीक कपडे के कैरी बैग पर भी हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। उक्त फेब्रिक कपडे के कैरी बैग को एक प्लास्टिक की बडी थैली में रखवाया जाकर परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल को सावधानी पूर्वक सुपुर्द किये गये। परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईश की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री दलीप सिंह कानि न 10, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शिशियों को साफ पानी व साबुन से

धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारें बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय का नया डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रभान, सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह मय सरकारी वाहन, ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप एवं श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक, श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि 155, श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40, श्री नरेन्द्र कुमार 91, श्री कुमार शानु कानि 138, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक, स्वतंत्र गवाह श्री मदन लाल वार्डबॉय मय प्राईवेट वाहन मे तथा परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल के साथ श्री विक्रम सिंह कानि को डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर परिवादी की गाडी के साथ गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु राजगढ के लिए रवाना हुये। श्री दलीप कुमार कानि 10 को कार्यालय में छोडा गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रभान, सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह मय सरकारी वाहन, ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप एवं श्री सुरेश चन्द पु.नि., श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि.155, श्री ईशाक मोहम्मद कानि.40, श्री नरेन्द्र कुमार 81, श्री कुमार शानु कानि 138, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक, स्वतंत्र गवाह श्री मदन लाल वार्डबॉय मय प्राईवेट वाहन से तथा परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल के साथ श्री विक्रम सिंह कानि के कस्बा राजगढ में नगर पालिका से पहले बाजार में पहुँच वाहनो को साईड में खड़ा करवाया गया। परिवादी एवं समस्त जाप्ता को आवश्यक समझाईश की गई। परिवादी ने अपने परिचित से एक मोटर साईकिल मंगवाई गई। परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल व श्री विक्रम सिंह कानि को परिवादी की मोटर साईकिल से आरोपी श्री राकेश धायल को रिश्वत देने हेतु नगर पालिका के लिए रवाना किया गया। श्री विक्रम सिंह कानि को हिदायत की गई की नगर पालिका कार्यालय के बाहर निगरानी रखें। उनके पीछे-पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री ईशाक मौहम्मद कानि, श्री कुमार शानु कानि, स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रभान एवं श्री मदनलाल के रवाना हो नगर पालिका के आसपास परिवादी के ईशारे के तय इंतजार में मुकिम हुये। अन्य जाप्ता को भी गाडी में मुकिम रहने की हिदायत की गई। परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल नगर पालिका से बिना कोई ईशारा किये बाहर आया। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि श्री राकेश धायल नगर पालिका में मिला लेकिन वो व्यस्त होने से उनसे बात नही हो सकी और अपनी मोटर साईकिल से नगर पालिका के कैम्प मे चला गया तथा शाम को बाद कैम्प नगर पालिका में मिलने की संभावना है। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो व परिवादी के राजगढ बाई पास चूरु रोड के लिए रवाना हुआ। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता व परिवादी के राजगढ बाई पास चूरु रोड पर स्थित ढाबे पर पहुच मुकिम हुये। परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल व आरोपी श्री राकेश धायल, भूमि शाखा प्रभारी एव दलाल श्री पवन मुदगल से सत्यापन वार्ता के दौरान दिनांक 16.09.2025 रुबरु एवम मोबाईल पर जरिये वाट्सअप हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया है। उक्त उक्त सभी वार्ताए तकनीकी कारण से वार्ताए वॉयस रिकॉर्डर की इनबिल्ट मैमोरी में रिकॉर्ड हुई है मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड नही हुई है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण श्री विक्रम सिंह कानि. 92 से तैयार करवायी गई जिसमें परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल व आरोपी श्री राकेश धायल एवं आरोपी श्री पवन मुदग्ल के बीच दिनांक 16.09.2025 को हुई रिश्वत मांग संबंधित वार्ताए रिकार्ड होना पाई गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल व स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रभान एवं मदन लाल की उपस्थिति में डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओ को लेपटॉप की सहायता से सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री विक्रम सिंह कानि. 92 द्वारा तैयार किया गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओ को पांच पैनड्राईव कम्पनी hp usb 3.2 32gb के तैयार कर पैन ड्राईव की हैश वैल्यु निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया तथा दुसरे पैन ड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए-1 अंकित किया गया। दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुला रखा गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एमीबी रखा गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री राकेश धायल एवं श्री पवन मुदगल व अन्य व्यक्ति की आवाज होने की पहचान की है। समय 05.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के सरकारी व प्राईवेट वाहन से तथा परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल के साथ श्री विक्रम सिंह को परिवादी की मोटर साईकिल से नगर पालिका के लिए रवाना हुये। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान व परिवादी के नगर पालिका से पहले बाजार में वाहनो को

माईड में खडा करवाया गया। परिवादी ने गोपनीय रुप से मालुमात किया तो बताया श्री राकेश धायल अभी कैम्प से नगर पालिका नही आया है। समय 06.20 पीएम पर परिवादी श्री अजय कुमार के साथ कानि विक्रम सिंह को उसकी मोटर माईकिल से श्री राकेश धायल को रिश्वत राशि देने हेतु नगर पालिका के लिए रवाना किया गया। कानि को हिदायत की गई की परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर सुपूर्द कर रवाना करे। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के नगर पालिका के आसपास परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय 06-27 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी का मिस काल का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता वाहन से नगर पालिका के अन्दर भूमि शाखा के दरवाजे पर पहुँचे जहां परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल खड़ा मिला जिनसे डिजिटल वॉयस रिकार्ड प्राप्त कर बन्द किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि श्री राकेश धायल अपने कक्ष में बैठे है जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को अपने साथ लेकर भूमि शाखा कक्ष में प्रवेश किया तो सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यही श्री राकेश धायल, प्रभारी भूमि शाखा है जिसको मैने अभी-अभी फैब्रिक कपडे का कैरी बैग जिसमें रिश्वती राशि 1,90,000 रुपये रखे हुये दिये है जिन्होने फैब्रिक कपड़े के कैरी बेग में रखी रिश्वती राशि 1,90,000 रुपये अपने हाथो से निकाल कर अपनी टेबल पर रख लिये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र श्री बलबीर, जाति जाट, उम्र 36 साल, निवासी लीलावठी, पुलिस थाना हमीरवास, जिला चूरु हाल वरिष्ठ सहायक, चार्ज भूमि शाखा कार्यालय नगर पालिका राजगढ चूरु होना बताया। श्री राकेश कुमार की टेबल पर पांच-पांच सौ रुपये के नोटो की चार गडिया रखी हुई थी। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री राकेश कुमार को उसके सामने टेबल पर नोटो की गडियो के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने धबराते हुये बताया कि आज सुबह श्री पवन मुदगल मुझे अजय कुमार अग्रवाल के भूखण्ड कन्वर्जन की फीस के 1,96,000 रुपये देकर गया था जो उनको देने के लिए श्री अजय कुमार अग्रवाल ने मुझे दिये है। पास ही खडे परिवादी ने श्री राकेश कुमार की बातो का खण्डन करते हुये बताया कि श्री राकेश कुमार झुठ बोल रहा है, मैने मेरी खाली भूखण्ड के कन्वर्जन करवाने हेतु दिनांक 12.08.2025 को नगर पालिका राजगढ में फाईल जमा करवाई थी, श्री राकेश कुमार ने भूखण्ड के कन्वर्जन करने की कन्वर्जन फीस के अलावा तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी, दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री राकेश कुमार, प्रभारी भूमि शाखा ने कन्वर्जन फीस व रिश्वत के 1,96,000 रुपये की मांग की गई तथा अन्त में 1,90,000 रुपये लेना तय किया तथा आज रिश्वत मांग के अनुशरण में श्री राकेश कुमार ने मेरे से, मेरे भूखण्ड का कन्वर्जन करने की एवज में 1,90,000 रुपये फैब्रिक कपड़ा का कैरी बैग सहित लेकर कैरी बैग से रिश्वती राशि निकाल कर अपनी टेबल पर रख लिये। मन् उप अधीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार को पुनः उक्त रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो कुछ नही बोला और नीचे गर्दन कर खड़ा रहा। मन् उप अधीक्षक ने टेबल पर रखी रिश्वती राशि गवाह श्री चन्द्रभान से उठवाई गई तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द सुपूर्दगी एवं पेशकशी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान ने मुताबिक फर्द नोट होना बताया। बरामद रिश्वती राशि के पास ही फैब्रिक कपडे का कैरी बैग बरंग हल्का पीला जिसके एक तरफ महादेव इन्डस्ट्रीज मोदी फुड प्रोडेक्ट हिन्दी में एवं दुसरी तरफ पूनम चन्द परमेश कुमार मोदी जी मिठाई वाले अग्रेजी में लिखा हुआ है। रिश्वती राशि 1,90,000 रुपये एवं फैब्रिक कपड़े का कैरी बैग स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रभान के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक का दाहिना हाथ कलाईयो के उपर से श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि से व बाया हाथ कलाईयो के उपर से श्री ईशाक मौहम्मद कानि न 40 से पकडवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में श्री पवन मुदगल, नक्शा नवीस प्राईवेट व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध है। श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक एवं श्री विक्रम सिंह कानि को श्री पवन मुदगल की तलाश हेतु मय सरकारी वाहन के रवाना किया गया। बरामद रिश्वती राशि 1,90,000 रुपये फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट से गवाहो द्वारा मिलान करवाया गया तो मुताबिक फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट के अनुसार होना पाये गये। बरामदशुदा उपरोक्त 1,90,000 रूपयों के नोटां को एक सफेद कपड़े में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कपडे पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्तकर कब्जा एसीबी लिये गये। फैब्रिक कपडे के कैरी बैग बरंग हल्का पीला जिसमें रिश्वती राशि रखी हुई थी पर संबंधित के हस्ताक्षर करा फैब्रिक कपडे के कैरी बैग को एक सफेद कपडे की थैली में रख कर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क-बी करवाकर सील्ड मोहर किया गया तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथ एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर दोनो प्लास्टिक के गिलासो में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घोल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री राकेश कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को उक्त रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी होना बताया जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमश मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर सील्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को दुसरे गिलास में तैयार रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त

रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमश मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर सील्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। दोनो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथो एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री राकेश कुमार के कक्ष में रखी टेबल के उपर जहा से रिश्वत राशि बरामद हुई है से धोवन लेने हेतु एक रुई के फोवे को रगडकर सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी होना स्वीकार किया। दो कांच की शिशियो को साबुन पानी से धुलवाकर टेबल से लिये गये धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर मार्क टी-1 टी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जला कर नष्ट करवाया गया। रुई के फोवे जिससे टेबल से धोवन लिया गया तो सुखाकर रुई फोवे को सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा थैली को शिल्ड मोहर कर मार्क सी अंकित किया गया। श्री सुरेश चन्द पु.नि. मय हमराही जाप्ता के वापस आया तथा बताया कि श्री पवन मुदगल को उसकी दुकान, निवास स्थान एवं अन्य संभावित स्थानो पर तलाश एवं मालुमात किया गया लेकिन श्री पवन मुदग्ल के बारे में पता नही चलना बताया। श्री पवन मुदगल के मोबाईल नम्बर [redacted] पर भी सम्पर्क किया गया लेकिन मोबाईल फोन स्वीच ऑफ होना पाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री राकेश कुमार से श्री अजय कुमार अग्रवाल के भूखण्ड कन्वर्जन की पत्रावली के बारे में पूछा तो बताया कि श्री पवन मुदग्ल मेरे पास कल आया था तथा मुझे श्री अजय कुमार अग्रवाल के भूखण्ड कन्वर्जन की फीस के 1,90,000 रुपये देकर गये थे जिस पर मैने 96,887 रुपये की बुक संख्या 13 रसीद संख्या 50 दिनांक 16.09.2025 को जारी की थी। श्री राकेश कुमार को परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल की भूखण्ड कन्वर्जन पत्रावली व रसीद पेश करने की कहने पर श्री अजय कुमार अग्रवाल की भूखण्ड कन्वर्जन की मूल पत्रावली व मूल रसीद बुक संख्या 13 पेश की। पत्रावली का अवलोकन करने एवं श्री राकेश कुमार से पूछताछ करने पर बताया कि श्री अजय कुमार अग्रवाल ने दिनांक 12.05.2025 को भूखण्ड के व्यवसायिक कन्वर्जन हेतु आवेदन नगर पालिका राजगढ में प्रस्तुत किया था। मैने उनके आवेदन पर दिनांक 13.08.2025 को रिपोर्ट कर पत्रावली श्रीमान अधिशाषी अधिकारी के समक्ष पेश की एवं बाद प्रक्रियानुसार 96,887 रुपये शुल्क जमा किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। आरोपी श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, प्रभारी भूमि शाखा नगर पालिका राजगढ, जिला चूरु के बरामदगी रिश्वत राशि, हाथो एवं टेबल के धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड Hp 32 GB में कार्यालय के श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर लेपटॉप से जोडकर चलाकर देखा तो कुल छः विडियो क्लीप रिकार्ड होना पाई जिनको बारी-बारी से चलाकर देखा तो विडियो क्लीप चालु होना पाई गई। मैमोरी कार्ड रिकार्ड विडियो क्लीप को दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोरी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क डी अंकित किया गया। परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल के भूखण्ड कन्वर्जन की मूल पत्रावली व रसदी बुक नम्बर 13 की कार्यवाही में आवश्यकता होने से जरिये फर्द पृथक से जप्त किये गये। आरोपी श्री राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक को अपराध से संबंधित जानकारी बाबत नोटिस दिया गया। श्री राकेश कुमार पुत्र श्री बलवीर, जाति जाट, उम्र 36 साल निवासी ग्राम लीलावठी पुलिस थाना हमीरवास, तहसील राजगढ, जिला चूरू हाल वरिष्ठ सहायक, प्रभारी भूमि शाखा, नगर पालिका राजगढ, जिला चूरू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल से उसके भू-खण्ड का कन्वर्जन करवाने की एवज दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान कन्वर्जन फीस व रिश्वत के 1,96,000 रुपये की मांग कर 1,90,000 रुपये लेना तय किया। रिश्वत मांग के अनुशरण में श्री राकेश कुमार द्वारा परिवादी से 1,90,000 रुपये रिश्वती राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार आरोपी श्री राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7एं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61(2) बी.एन.एस. 2023 की परिधि में आना पाया जाने पर जूर्म से आगाह कर आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत करा जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी श्री राकेश कुमार के बताये अनुसार उसके जीजाजी के बडे भाई रविन्द्र तूनियां को दी गई। परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल द्वारा 17.09.2025 को आरोपी श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक से हुई रूबरू वार्ता एवं परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल के मोबाईल से दलाल पवन मुदगल के मोबाईल पर हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। फर्द वार्ता रुपान्तरण कानि विक्रम सिंह न. 92 से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं आरोपी श्री राकेश कुमार की आवाज होने की पहचान की है। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप मे कनेक्ट कर उक्त वार्ता की चार पैनड्राईव कम्पनी hp usb 3.2 32gb के तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव hp usb 3.2 32gb

को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ई अंकित किया गया। दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड hp 32 जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ई-1 अंकित किया गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। दिनांक 18.09.2025 को 12.05 एएम पर स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में आरोपी श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, नगर पालिका राजगढ जिला चूरु में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 01 को कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 से नष्ट कराई जाकर फर्द नमूना शील नष्टीकरण तैयार की गई। बाद कार्यवाही मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य, स्वतंत्र गवाहान एवं गिरफ्ताशुदा आरोपी श्री राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक, नगर पालिका राजगढ जिला चूरु ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न करने के पश्चात आरोपी व ट्रेप पार्टी को खाना खिलाकर जप्त शुदा वजह सबुत आर्टिकल हमरा लेकर झुंझुनूं के लिए रवाना हुआ। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा आरोपी श्री राकेश कुमार मय प्रकरण के वजह सबुत के हाजिर कार्यालय आया। ट्रेप कार्यवाही में सील्ड जप्तशुदा वजह सबुत आर्टिकल एच.एम. मालखाना को सुपूर्द कर जमा मालखाना कराये गये। स्वतंत्र गवाहान श्री मदन लाल व चन्द्रभान को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री बलवीर, जाति जाट, उम्र 36 साल निवासी ग्राम लीलावठी पुलिस थाना हमीरवास, तहसील राजगढ, जिला चूरू हाल वरिष्ठ सहायक, प्रभारी भूमि शाखा, नगर पालिका राजगढ, जिला चूरू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर श्री पवन मुदगल, प्राईवेट व्यक्ति से मिलीभगत कर परिवादी श्री अजय कुमार अग्रवाल से उसके भू-खण्ड का कन्वर्जन करवाने की एवज में दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान कन्वर्जन फीस व रिश्वत के 1,96,000 रुपये की मांग कर 1,90,000 रुपये लेना तय किया। रिश्वत मांग के अनुशरण में श्री राकेश कुमार द्वारा परिवादी से 1,90,000 रुपये प्राप्त कर अपनी टेबल पर रखे जहा से रिश्वती राशि 1,90,000 रुपये बरामद की गई। आरोपी श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, प्रभारी भूमि शाखा, नगर पालिका राजगढ जिला चूरु व श्री पवन मुदगल, प्राईवेट व्यक्ति का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बी.एन.एस. 2023 की परिधि में आता है। अतः आरोपी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री बलवीर, जाति जाट, उम्र 36 साल निवासी ग्राम लीलावठी पुलिस थाना हमीरवास, तहसील राजगढ, जिला चूरू हाल वरिष्ठ सहायक, प्रभारी भूमि शाखा, नगर पालिका राजगढ, जिला चूरू व श्री पवन मुदगल पुत्र श्री प्रेम प्रकाश मुदगल जाति ब्राह्मण उम्र 48 साल निवासी रामबाग वार्ड नम्बर 26 राजगढ जिला चूरू, प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बी.एन.एस. 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस ए.सी.बी जयपुर को प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।.............कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1.श्री राकेश कुमार पुत्र श्री बलवीर, जाति जाट, उम्र 36 साल निवासी ग्राम लीलावठी पुलिस थाना हमीरवास, तहसील राजगढ, जिला चूरू हाल वरिष्ठ सहायक, प्रभारी भूमि शाखा, नगर पालिका राजगढ, जिला चूरू एवं 2.श्री पवन मुदगल पुत्र श्री प्रेम प्रकाश मुदगल जाति ब्राह्मण उम्र 48 साल निवासी रामबाग वार्ड नम्बर 26 राजगढ जिला चूरू, प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,चूरू को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 350 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1400-03 दिनांक 19.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2.-अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका राजगढ, चूरू 3 -उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर-प्रथम, 4-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुन्झुनूं । उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHENDRA KUMAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/09/2025 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/04/1990				
2	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)